मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दौसा, जिला दौसा राज.

(अतिरिक्त कार्यभार)

पीठासीन अधिकारी – प्रेम राजेश – आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

UID No. RJ00444

मोटर दुर्घटना दावा संख्या – **MACT Main 17/2025**

(CNR. NO. RJDS010000682025)

1. रामोती देवी मीना पत्नी श्री रामभजन मीना, उम्र 42 वर्ष, (मृतक की माता)
2. रामभजन मीना पुत्र श्री मूलचन्द मीना, उम्र 52 वर्ष, (मृतक का पिता)
3. आशा मीना पुत्री श्री रामभजन मीना, उम्र 22 वर्ष, (मृतक की बहिन)
4. संजू मीना पुत्र श्री रामभजन मीना, उम्र 17 वर्ष, (मृतक का भाई)

समस्त निवासी–ढाणी घोड़ा ग्राम चक कालीखाड, पोस्ट थूमड़ी, तहसील नांगल राजावतान, पुलिस थाना पापडदा, जिला दौसा, राजस्थान। **..प्रार्थीगण**

बनाम

1. लोकेश मीना पुत्र श्री बीरबल मीना, उम्र 31 वर्ष, निवासी–ढाणी बान्या बंध ग्राम छारेड़ा, तहसील व थाना नांगल राजावतान, जिला दौसा, राजस्थान मो.नं. 9414686541 (चालक वाहन मेजर जीप महिन्द्रा संख्या RJ-29-UA-2304)।
2. श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा, उम्र 40 वर्ष, निवासी ई–122 फेज तृतीय डूंगरी जयपुर, पुलिस थाना गांधीनगर, जिला जयपुर, राजस्थान (स्वामी वाहन मेजर जीप महिन्द्रा संख्या RJ-29-UA-2304)।
3. यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा कार्यालय रोडवेज बस डिपो के पास आगरा रोड़ दौसा, जिला दौसा, राजस्थान (बीमा कंपनी वाहन मेजर जीप महिन्द्रा संख्या RJ-29-UA-2304)। **..अप्रार्थीगण**

याचिका अंतर्गत धारा–166, 140 मोटर यान अधिनियम, 1988 सपठित धारा 10.2 राजस्थान मोटर व्हीकल रूल्स बाबत प्राप्त किये जाने क्षतिपूर्ति राशि

उपस्थितः–

1. श्री कृष्णकान्त शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02
3. श्री अवधेश शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03
4. अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

—निर्णय— दिनांक 17.07.2026

(1) हस्तगत क्लेम याचिका प्रार्थीगण रामोती देवी व अन्य द्वारा अंतर्गत धारा 166, 140 मोटर यान अधिनियम, 1988 सपठित धारा 10.2 राजस्थान मोटर व्हीकल रूल्स के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध सड़क दुर्घटना में प्रार्थीगण रामोती देवी व रामभजन के पुत्र मृतक जितेश कुमार मीना के शरीर पर आयी गंभीर चोटों के कारण हुयी मृत्यु बाबत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त क्लेम याचिका इस अधिकरण में दिनांक 24.12.2024 को प्रस्तुत की गयी है, जो नियमानुसार दर्ज की गयी, जिसका निस्तारण किया जा रहा है।

(2) प्रस्तुत क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.08.2024 को समय दोपहर करीब 02:30 बजे मृतक जितेश कुमार मीना व चेतराम मीना, मोटरसाईकिल संख्या RJ-29-FS-2758 से दौसा से गांव अपनी साईड में जा रहे थे ज्योंहि दौसा—पापड़दा मार्ग पर बीगावास सरकारी स्कूल के पास पहुंचे तो अचानक पीछे से एक मेजर जीप महिन्द्रा संख्या RJ-29-UA-2304 को उसका चालक बहुत तेजगति व लापरवाही से लहराता हुआ लाया और पीछे से मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाईकिल आगे जा रही ट्रेक्टर ट्रॉली से जा भिड़ी और जितेश कुमार मीना के शरीर पर गंभीर चोटें आयी। उक्त दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के परिणास्वरूप जितेश कुमार मीना की मौके पर ही मृत्यु हो गयी।

(3) दुर्घटना से पूर्व मृतक जितेश कुमार मीना हृष्ठ—पुष्ठ शरीर का मेहनती, निपुण, होनहार व होशियार नौजवान व्यक्ति था, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी व खेती का कार्य करके 12,000/- रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था, जिससे उसके परिवार का खर्चा चलता था एवं भविष्य में अधिक से अधिक आय अर्जित करता, जिससे प्रार्थीगण को और अधिक सुविधा प्राप्त होती। प्रार्थीगण, मृतक की आय पर ही आश्रित थे।

(4) प्रार्थीगण रामोती देवी व अन्य ने अपनी क्लेम याचिका के विभिन्न मदों में कुल क्षतिपूर्ति राशि 45,25,000/- रूपये की मांग की है।

(5) अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक के बावजूद तामील अधिकरण में उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध दिनांक 25.02.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(6) अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी ने उक्त याचिका का जवाब प्रस्तुत कर याचिका के अधिकांश चरणों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार कर गलत होना बताते हुए विवरण विशेष में मुख्य रूप से अंकित किया है कि वाहन No. RJ-29-UA-2304 को

विपक्षी संख्या 02 द्वारा दिनांक 02.08.2024 से काफी पहले ही दिनांक 10.09.2023 को लोकेश मीना पुत्र श्री बीरबल मीना को विक्रय कर दिया था। उक्त दुर्घटना दिनांक 02.08.2024 को उक्त वाहन उसके कब्जे, स्वामित्व व नियंत्रण में नहीं था तथा उसके हितार्थ, लाभार्थ व निर्देशानुसार भी नहीं चलाया जा रहा था। अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी का उक्त वाहन से दुर्घटना दिनांक 02.08.2024 को कोई संबंध सरोकार नहीं था। फिर भी यदि माननीय न्यायाधिकरण किन्हीं सूक्ष्म कारणों से प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि दिलवाया जाना उचित समझे तो अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी ने अपने वाहन को अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के यहां बीमित करवाया हुआ है, जिससे उक्त वाहन के उपयोग—उपभोग में रहते हुए व उक्त वाहन में होने वाली समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति की अदायगी का दायित्व बीमा नियमों व एम.वी.एक्ट के तहत अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी द्वारा लिया हुआ है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी समस्त क्षतिपूर्ति की अदायगी हेतु उत्तरदायी है। अंत में प्रार्थीगण की क्लेम याचिका अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

(7) अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी ने जवाब प्रस्तुत कर प्रारम्भिक आपत्तियों में मुख्य रूप से अंकित किया है कि वाहन संख्या RJ-29-UA-2304 के बीमित व स्वामी ने तथाकथित दुर्घटना दिनांक 02.08.2024 की सूचना बीमा कंपनी को नहीं देकर बीमा संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया है। साथ ही बीमा पॉलिसी की शर्तों में से एक आवश्यक शर्त यह भी है कि उक्त वाहन को बरवक्त तथाकथित दुर्घटना चलाने वाला व्यक्ति वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंसधारक मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। उक्त तथाकथित दुर्घटना में अन्य वाहन मोटरसाईकिल संख्या RJ-29-SF-2758 व वाहन ट्रेक्टर ट्रोली नंबर RJ-29-RC-0385 के चालक, स्वामी व बीमा कंपनी, जो कि उक्त याचिका में लिप्त होने के कारण आवश्यक पक्षकार थे, जिनको प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर सही तथ्यों को छिपाने के लिए कलुषित उद्देश्यों के कारण पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए क्लेम याचिका पक्षकारों के असंयोजन के नुक्स से पीड़ित होने के कारण बीमा कंपनी के विरूद्ध निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि उक्त तथाकथित दुर्घटना में वाहन संख्या RJ-29-UA-2304 के चालक की किसी प्रकार की तेजगति, गफलत व लापरवाही नहीं रही है, वास्तविकता में उक्त दुर्घटना उक्त अन्य वाहन मोटरसाईकिल व ट्रेक्टर ट्रोली के चालकों की तेजगति, गफलत व लापरवाही से घटित हुई है, जिसके लिए बीमित वाहन को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है परन्तु प्रार्थीगण ने किसी प्रकार से क्लेम राशि प्राप्त करने के लिए अप्रार्थी संख्या 01 व 02 से मिलीभगत कर

बीमित वाहन को उक्त प्रकरण में गलत रूप से लिप्त किया है। अंत में प्रार्थीगण की क्लेम याचिका अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

(8) पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर अधिकरण द्वारा दिनांक 19.07.2025 को निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये :–

1. आया दिनांक 02.08.2024 को समय दोपहर करीब 02:30 बजे मृतक जितेश कुमार मीना व चेतराम मीना, मोटरसाईकिल संख्या RJ-29-FS-2758 से दौसा से गांव अपनी साईड में जा रहे थे ज्योंहि दौसा–पापड़दा मार्ग पर बीगावास सरकारी स्कूल के पास पहुंचे तो अचानक पीछे से एक मेजर जीप महिन्द्रा संख्या RJ-29-UA-2304 को उसका चालक बहुत तेजगति व लापरवाही से लहराता हुआ लाया और मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाईकिल आगे जा रही ट्रेक्टर ट्रॉली से जा भिड़ी, जिससे जितेश कुमार मीना के शरीर पर गंभीर चोटें आयी। उक्त दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के परिणास्वरूप मौके पर ही जितेश कुमार मीना की मृत्यु हो गयी ? **..प्रार्थीगण**

2. आया उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक द्वारा वाहन को अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी के हितार्थ, लाभार्थ व उसके प्रयोजनार्थ चलाया जा रहा था ? **..प्रार्थीगण**

3. आया अप्रार्थी संख्या 02 व 03 अपने लिखित अभिकथनों की आपत्तियों एवं विशेष कथनों के आधार पर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकते हैं, या नहीं ? **..अप्रार्थी संख्या 02 व 03**

4. आया प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? यदि हां, तो किस–किस अप्रार्थीगण से कितनी–कितनी राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

..प्रार्थीगण

5. अनुतोष ?

(9) प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में मृतक जितेश कुमार मीना की माता प्रार्थिया रामोती देवी मीना ए डब्ल्यू 01 एवं रामरतन मीना ए डब्ल्यू 02 को साक्ष्य के शपथपत्र प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 लगायत 27 दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये हैं। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से मौखिक साक्ष्य में वाहन स्वामी श्यामसुन्दर शर्मा एन ए डब्ल्यू 02/01 को साक्ष्य का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एन ए

02/01 व एन ए 02/02 दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये हैं। अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से मौखिक साक्ष्य में चेतराम एन ए डब्ल्यू 03/01 को साक्ष्य का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एन ए 03/01 ता एन ए 03/04 दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये हैं।

(10) बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण के दौराने बहस क्लेम याचिका में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से तर्क रहे हैं कि दिनांक 02.08.2024 को समय दोपहर करीब 02:30 बजे मृतक जितेश कुमार मीना व चेतराम मीना, मोटरसाईकिल संख्या RJ-29-FS-2758 से दौसा से गांव जा रहे थे तो जब दौसा–पापड़दा मार्ग पर बीगावास सरकारी स्कूल के पास पहुंचे तो अचानक पीछे से एक मेजर जीप महिन्द्रा संख्या RJ-29-UA-2304 को उसका चालक बहुत तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और पीछे से मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाईकिल आगे जा रही ट्रेक्टर ट्रॉली से जा भिड़ी और जितेश कुमार मीना गंभीर रूप से घायल हो गया। उक्त दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के परिणास्वरूप जितेश कुमार मीना की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची व मृतक को पोस्टमार्टम व पंचनामे की कार्यवाही हेतु राजकीय चिकित्सालय, दौसा ले जाया गया। उक्त दुर्घटना की पुलिस थाना पापडदा, जिला दौसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 109/2024 दर्ज की गई एवं बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अंतर्गत धारा 281, 125 (a), 106 (1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत चालान पेश किया गया। अंत में प्रार्थीगण की क्लेम याचिका स्वीकार कर वांछित क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने का निवेदन किया। समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये :–

1. **Rama Bai v/s Amit Minerals and another**

   2025 ACJ 2506, decided on 24.09.2025 (S.C.)

2. **Akula Narayan v/s Oriental Insurance Co. Ltd. and another**

   2025 ACJ 2532, decided on 10.11.2025 (S.C.)

(11) इसके प्रतिवाद में अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क रहे हैं कि वाहन स्वामी ने वाहन संख्या RJ-29-UA-2304 को दुर्घटना दिनांक 02.08.2024 से काफी पहले ही दिनांक 10.09.2023 को लोकेश मीना पुत्र श्री बीरबल मीना, निवासी–बान्धा बंध छारेड़ा, तहसील नागंल राजावतान, जिला दौसा, को विक्रय कर दिया था और बरवक्त दुर्घटना उक्त वाहन उसके कब्जे, स्वामित्व व नियंत्रण में नहीं था, न ही उसके हितार्थ, लाभार्थ व निर्देशानुसार चलाया जा रहा था,

इसलिए उक्त दुर्घटना से अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी का कोई संबंध नहीं है। फिर भी माननीय न्यायालय यदि किन्हीं सूक्ष्म कारणों से प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि दिलवाया जाना न्यायोचित समझे तो अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने वाहन संख्या RJ-29-UA-2304 को अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी से बीमित करवाया हुआ है, इसलिए वाहन से होने वाली समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति की अदायगी का दायित्व बीमा कंपनी द्वारा लिया जाने के कारण क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी हेतु बीमा कंपनी उत्तरदायी है। अंत में प्रार्थीगण की क्लेम याचिका अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध खारिज किये जाने का निवेदन किया।

(12) अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक के तर्क रहे हैं कि उनके द्वारा बीमित वाहन से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुयी तथा वाहन संख्या RJ-29-UA-2304 के बीमित व स्वामी ने तथाकथित दुर्घटना दिनांक 02.08.2024 की सूचना अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी को नहीं देकर बीमा संविदा व बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है। उक्त तथाकथित दुर्घटना में बीमित वाहन की किसी प्रकार की कोई गलती व लापरवाही नहीं रही है, बल्कि उक्त दुर्घटना मृतक के वाहन मोटरसाईकिल संख्या RJ-29-SF-2758 व अन्य वाहन ट्रेक्टर ट्रोली नंबर RJ-29-RC-0385 के चालकों की तेजगति, गफलत व लापरवाही से घटित हुई है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी 01 व 02 से मिलीभगत करके व पुलिस से साजकर बीमित वाहन को उक्त दुर्घटना में झूठा लिप्त करवाकर गलत तरीके से रिपोर्ट दर्ज करवाकर चालान पेश करवाया है। साथ ही वाहन चालक द्वारा वैध एवं प्रभावी लाईसेंस के बिना वाहन का संचालन किया जा रहा था, जिससे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। अंत में प्रार्थीगण की क्लेम याचिका अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विरूद्ध खारिज किये जाने का निवेदन किया।

(13) उभयपक्षकारान विद्वान अभिभाषकगण के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त किया। उभयपक्षकारान द्वारा दिये गये तर्कों एवं पत्रावली में प्रस्तुत अभिवचनों, मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य को देखते हुए अधिकरण द्वारा विरचित विवाद्यकों पर अधिकरण का निर्णय निम्न प्रकार से है :—

<u>विवाद्यक संख्या 01</u>

(14) इस विवाद्यक के संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। इस क्रम में सर्वप्रथम पत्रावली पर प्रार्थीगण की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें मृतक जितेश कुमार मीना की माता

रामोती देवी मीना ए डब्ल्यू 01 ने अपने साक्ष्य के शपथ–पत्र में मूल याचिका के समान ही कथन किये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श 01, चाकशुदा एफ.आई. आर. प्रदर्श 02, चार्जशीट प्रदर्श 03, नक्शा मौका प्रदर्श 04, पंचायतनामा प्रदर्श 05, रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श 06, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 07, नोटिस धारा 133 एम.वी. एक्ट प्रदर्श 08, नोटिस धारा 134 एम.वी. एक्ट प्रदर्श 09, फर्द जब्ती जीप प्रदर्श 10, फर्द जब्ती कागजात प्रदर्श 11, आर.सी. जीप प्रदर्श 12, जीप का बीमा प्रमाण पत्र प्रदर्श 13, न्यायालय की आदेशिका प्रदर्श 14, नोटिस धारा 94 बी.एन.एस., 2023 प्रदर्श 15, नोटिस टू लोकेश प्रदर्श 16, फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल प्रदर्श 17, मृतक की प्रतियोगी परीक्षाओं के कॉल लेटर प्रदर्श 18 लगायत 23, मोटरसाईकिल खरीद का बिल प्रदर्श 24, मृतक की सीनियर की मार्कशीट प्रदर्श 25, सुपुर्दगीनामा प्रदर्श 26 एवं जमानतनामा प्रदर्श 27 दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये हैं। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कहा है कि यह कहना सही है कि मैंने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी। यह कहना सही है कि मैंने जिस गाड़ी के खिलाफ क्लेम पेश किया है, उसका मालिक लोकेश था। अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कहा है कि यह कहना सही है कि मैंने दुर्घटना होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखी है। यह कहना सही है कि मृतक जितेश पढ़ाई करता था। मैं दुर्घटना के दो घंटे बाद मौके पर पहुंची थी। मैंने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर नहीं देखे थे। यह कहना सही है कि जितेश के आय व व्यय के संबंध में मैंने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मेरा बेटा जितेश उक्त मोटरसाईकिल को चलाकर आगे चल रही ट्रेक्टर ट्रोली में टक्कर मारी हो। यह कहना गलत है कि जीप से मेरे बेटे की टक्कर ना हुई हो।

(15) प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षी **रामरतन मीना ए डब्ल्यू 02** ने अपने साक्ष्य के शपथ–पत्र में कथन किये हैं कि ''दिनांक 02.08.2024 को समय दोपहर करीब 02:30 बजे मैं किसी काम से दौसा जा रहा था कि अचानक दौसा की तरफ से आ रही एक मोटरसाईकिल के पीछे से आ रही मेजर जीप संख्या RJ-29-UA-2304 के चालक ने तेजगति व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाईकिल आगे चले रही ट्रेक्टर ट्रोली से जा टकरायी और घटनास्थल पर मोटरसाईकिल चालक जितेश मीना की मृत्यु हो गयी। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कहा है कि रामोती व रामभजन रिश्ते में मेरे परिवार के व ढाणी के हैं। यह कहना गलत है कि मैंने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी हो, अजखुद कहा कि बीगावास गांव से 02 किलोमीटर दूर स्कूल के आगे सड़क पर हुई थी। यह

कहना गलत है कि जितेश की मोटरसाईकिल आगे चल रहे ट्रेक्टर ट्रोली से टकरा गई हो, अजखुद कहा कि पीछे से मेजर जीप ने टक्कर मारी तब मोटरसाईकिल ट्रोली से जा टकराई। ट्रेक्टर ट्रोली दौसा से पापडदा की तरफ जा रही थी। मेजर जीप आलूदा की तरफ जा रही थी। यह कहना सही है कि मेजर जीप अपनी सही दिशा में जा रही थी। मैं घटनास्थल से 100 मीटर दूर था। मैं अपने घर से दौसा की तरफ जा रहा था। यह कहना गलत है कि मेजर जीप मुझे क्रॉस करके निकल गई हो।

(16) प्रार्थीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अनुसार हस्तगत प्रकरण में दिनांक 02.08.2024 को समय दोपहर करीब 02:30 बजे मृतक जितेश कुमार मीना व चेतराम मीना, मोटरसाईकिल संख्या RJ-29-FS-2758 से दौसा से गांव जा रहे थे तो दौसा–पापड़दा मार्ग पर बीगावास सरकारी स्कूल के पास अचानक पीछे से एक मेजर जीप महिन्द्रा संख्या RJ-29-UA-2304 को उसका चालक बहुत तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और पीछे से मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाईकिल आगे जा रही ट्रेक्टर ट्रॉली से जा भिड़ी और जितेश कुमार मीना के शरीर पर गंभीर चोटें आयी। उक्त दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के परिणास्वरूप जितेश कुमार मीना की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। इस संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकट होता है कि प्रकरण में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 01 दर्ज करवाई गई है, वह मृतक जितेश कुमार मीना के पिता रामभजन मीना द्वारा दुर्घटना दिनांक 02.08.2024 को ही मुख्य रूप से इस आशय की दर्ज करवाई गई है कि ''दिनांक 02.08.2024 को समय दोपहर करीब 02:30 PM पर सूचना मिली कि मेरे लड़के जितेश कुमार मीना का बीगावास स्कूल के पास एक्सीडेन्ट हो गया है, जिस पर मैं तुरन्त मौके पर पहुंचा तो वहां भीड़ एकत्रित थी। मेरे बेटे का शव रोड़ पर पड़ा था तथा खून बह रहा था। वहां पर मौजूद मेरे बेटे जितेश के दोस्त चेतराम मीना ने बताया कि मैं और जितेश मोटरसाईकिल संख्या RJ-29-FS-2758 से दौसा कोचिंग जाकर घर आ रहे थे, जितेश गाड़ी चला रहा था तथा मैं पीछे बैठा था कि अचानक से हमारे पीछे से एक मेजर जीप के चालक ने जीप को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए हमारी मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मार दी, जिससे जितेश और मैं हमारे आगे चल रही ट्रेक्टर ट्रोली से भिड़ गये, जिससे जितेश के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही दम तोड़ दिया....इत्यादि।'' जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक के तर्क रहे हैं कि उक्त दुर्घटना उनके बीमित वाहन से नहीं हुई, बल्कि मृतक जितेश कुमार मीना ने मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-FS-2758 को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर ट्रेक्टर ट्रोली नंबर RJ-29-RC-0385 के पीछे से टकराने से उक्त दुर्घटना घटित हुयी है एवं

दुर्घटना दिनांक के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किये हैं, जिससे प्रतीत होता है कि याचिका में बीमित वाहन को क्लेम लेने के लिए मिथ्या लिप्त किया गया है।

(17) इस संबंध में प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्यानुसार मृतक जितेश कुमार मीना को दुर्घटना के पश्चात दुर्घटना दिनांक 02.08.2024 को ही PNKS Medical College and Attached Hospital, Dausa में ईलाज हेतु लेकर गये। जहां पर चिकित्सकों द्वारा जितेश कुमार मीना को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके लिए मृतक जितेश कुमार मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 07 पत्रावली में प्रस्तुत की गयी है, जिसमें Brought Dead in A/E of DH Dausa on 02.08.2024 at 04:22 PM अंकित है तथा मृतक जितेश कुमार मीना की बॉडी का निरीक्षण दुर्घटना दिनांक 02.08.2024 को ही समय 05:15 PM पर PNKS Medical College and Attached Hospital, Dausa में किया गया, जिसमें उसकी मृत्यु पोस्टमार्टम से पहले 06 घण्टे के भीतर होना बताया है और मृत्यु का कारण मृत्यु–पूर्व उसके सिर पर आयी चोट से Coma में जाने से होना बताया है, जिसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जिसकी संपुष्टि चक्षुदर्शी रामरतन मीना ए डब्ल्यू 02 के सशपथ बयानों से भी होती है कि ''दिनांक 02.08.2024 को समय दोपहर करीब 02:30 बजे बीगावास गांव के पास दौसा की तरफ से आ रही मेजर जीप संख्या RJ-29-UA-2304 के चालक ने तेजगति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाईकिल आगे चले रही ट्रेक्टर ट्रोली से जा टकरायी और मोटरसाईकिल चालक जितेश मीना की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी।'' उक्त गवाह जिरह में भी विचलित नहीं हुआ है और दुर्घटना स्वयं के सामने होना व मेजर जीप द्वारा मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मारना बताया है, जिससे मोटरसाईकिल आगे चल रहे ट्रेक्टर ट्रोली से जा टकराई और ट्रैक्टर ट्रोली को दौसा से पापडदा की तरफ जाना कहा है, जिसकी संपुष्टि नक्शा मौका प्रदर्श 04 से हो रही है। इस प्रकार उपरोक्त मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक द्वारा उक्त दिनांक को कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई हो और प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 व 02 से मिलकर व पुलिस से साजकर प्रश्नगत वाहन मेजर जीप संख्या RJ-29-UA-2304 को दुर्घटना में गलत रूप से संलिप्त किया हो। जहां तक बीमित वाहन को दुर्घटना में झूठा लिप्त करने का प्रश्न है ? तो इस संबंध में पुलिस द्वारा प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान किया गया है और बाद विस्तृत अनुसंधान लोकेश मीना/अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक के विरूद्ध अंतर्गत

धारा 281, 125(a), 106(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3/181, 134/187 एम.वी. एक्ट के तहत एवं श्यामसुन्दर शर्मा/अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 5/180 एम.वी. एक्ट के तहत सक्षम न्यायालय में आरोप–पत्र प्रदर्श 03 प्रस्तुत किया गया है। इसके खण्डन में अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर परीक्षित/प्रदर्शित नहीं करवाई है, इसलिए बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक के तर्क कि उनके बीमित वाहन को उक्त दुर्घटना में झूठा लिप्त किया गया हो, अधिकरण के विनम्र मतानुसार माने जाने योग्य नहीं है।

(18) जहां तक लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने का प्रश्न है, तो प्रार्थिया रामोती देवी ने अपनी सशपथ साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 02.08.2024 को समय दोपहर करीब 02:30 PM पर वाहन मेजर जीप महिन्द्रा संख्या RJ-29-UA-2304 के चालक/अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर दौसा–पापडदा मार्ग पर बीगावास सरकारी स्कूल के पास मृतक जितेश कुमार मीना की मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-FS-2758 के पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मृतक की मोटरसाईकिल आगे चल रही ट्रेक्टर ट्रोली से जा टकराई, जिससे जितेश कुमार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना के पश्चात मृतक को दुर्घटना दिनांक 02.08.2024 को ही PNKS Medical College and Attached Hospital, Dausa में ईलाज हेतु लेकर गये, जहां पर चिकित्सकों द्वारा जितेश कुमार मीना को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके लिए मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 07, फर्द पंचायतनामा 05 एवं रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श 06 पत्रावली में प्रस्तुत किये गये हैं। हालांकि प्रार्थिया रामोती देवी उक्त दुर्घटना की चश्मदीद साक्षी नहीं है किन्तु चक्षुदर्शी साक्षी <u>रामरतन मीना ए डब्ल्यू 02</u> ने दुर्घटना स्वयं के सामने होना व घटनास्थल से स्वयं को 100 मीटर दूर होना बताते हुए कहा है कि मेजर जीप ने मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मारी, जिससे मोटरसाईकिल आगे चल रहे ट्रेक्टर ट्रोली से जा टकराई, जिसकी ताईद नक्शा मौका प्रदर्श 04 से भी हो रही है, जिसमें दुर्घटना दौसा से पापडदा की ओर जाने वाली मार्क 'A' स्थान पर दर्शित पक्की रोड़ पर सरकारी स्कूल बीगावास के सामने "X" स्थान पर होना बताया है तथा मेजर जीप, मोटरसाईकिल व ट्रेक्टर ट्रोली एक ही दिशा की ओर दौसा से पापड़दा की तरफ जाना दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि मेजर जीप द्वारा मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मारी, जिससे मोटरसाईकिल ट्रेक्टर ट्रोली के पीछे से जा टकराई। दौराने अनुसंधान प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त वाहन मेजर जीप संख्या RJ-29-UA-2304 एवं वाहन मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-FS-2758 को जब्त किया गया है, जो फर्द जब्ती प्रदर्श 10 है व मोटरसाईकिल की फर्द निरीक्षण अस्थाई सुपुर्दगी प्रदर्श 17 पत्रावली में प्रस्तुत हैं, जिनके अनुसार वाहन मेजर कार

Mahindra & Mahindra Ldt. है, जिसके आगे रजिस्ट्रेशन नंबर RJ-29-UA-2304 अंकित है व पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं है एवं वाहन चालू हालत में है तथा मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैन्डर प्लस कंपनी की है, जिसके आगे पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट RJ-29-FS-2758 लगी हुई है एवं मोटरसाईकिल के पीछे की लाईट, मरघाट, शीट एवं पूरा हिस्सा ही टूटा हुआ है, पेट्रोल की टंकी व आगे की लाईट, मरघाट पूरी तरह से टूटे हुए हैं एवं मोटरसाईकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त व चालू हालत में नहीं होने का अंकन है अर्थात मोटरसाईकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे उक्त दुर्घटना होने की संपुष्टि होती है। इससे स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन मेजर जीप संख्या RJ-29-UA-2304 के चालक द्वारा वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर दौसा–पापडदा रोड़ पर बीगावास सरकारी स्कूल के सामने मृतक जितेश कुमार मीना की मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-FS-2758 के पीछे से टक्कर मारने से हुई है, जिससे मृतक की मोटरसाईकिल आगे चल रही ट्रेक्टर ट्रोली से जा टकरा गई और जितेश कुमार मीना की मौके पर ही मृत्यु हो गयी और अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी बाद विस्तृत अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक लोकेश मीना के विरूद्ध अंतर्गत धारा 281, 125(a), 106(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3/181, 134/187 एम.वी. एक्ट के तहत एवं अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी श्यामसुन्दर शर्मा के विरूद्ध अंतर्गत धारा 5/180 एम.वी. एक्ट के तहत सक्षम न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर परीक्षित/प्रदर्शित नहीं करवाई गई है, न ही बीमा कंपनी द्वारा करवाई गई कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसलिए अप्रार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक के यह तर्क कि उक्त दुर्घटना उनके बीमित वाहन से नहीं होकर स्वयं मृतक जितेश कुमार मीना की मोटरसाईकिल नंबर RJ-29-SF-2758 को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर ट्रेक्टर ट्रोली नंबर RJ-29-RC-0385 के पीछे से टकराने से उक्त दुर्घटना घटित हुयी हो एवं बीमित वाहन को उक्त दुर्घटना में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया हो, अधिकरण के विनम्र मतानुसार माने जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को देखते हुए यह संभावनाओं की आधिक्यता तक प्रकट हुआ है कि दिनांक 02.08.2024 को समय दोपहर करीब 02:30 बजे मृतक जितेश कुमार मीना व चेतराम मीना, मोटरसाईकिल संख्या RJ-29-FS-2758 से दौसा से गांव जा रहे थे तो जब वे दौसा–पापड़दा मार्ग पर बीगावास सरकारी स्कूल के पास पहुंचे तो अचानक पीछे से एक मेजर जीप महिन्द्रा संख्या RJ-29-UA-2304 को उसका चालक बहुत तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी,

जिससे मोटरसाईकिल आगे जा रही ट्रेक्टर ट्रॉली से जा भिड़ी और जितेश कुमार मीना के शरीर पर गंभीर चोटें आयी। उक्त दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के परिणास्वरूप जितेश कुमार मीना की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। अतः उपरोक्तानुसार विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 02

(19) इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। इस विवाद्यक के संबंध में अप्रार्थी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता के यह तर्क रहे हैं कि वाहन संख्या RJ-29-UA-2304 को उसके स्वामी श्यामसुन्दर शर्मा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा दुर्घटना दिनांक 02.08.2024 से पूर्व ही दिनांक 10.09.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 लोकेश मीना को जरिये मुख्त्यारनामा 500/-रूपये के स्टाम्प पेपर पर बेचान कर दिया था, इसलिए दुर्घटना के दिन प्रश्नगत वाहन अप्रार्थी संख्या 02 के कब्जे में ना होकर अप्रार्थी संख्या 01 लोकेश मीना के कब्जे में था। अतः उक्त वाहन से होने वाली दुर्घटना के कारण दिये जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी का दायित्व केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 01 लोकेश मीना का है। अंत में अप्रार्थी संख्या 02 श्यामसुन्दर शर्मा को क्षतिपूर्ति अदायगी के उत्तरदायित्व से उन्मोचित किये जाने का निवेदन किया।

(20) प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्कों के खण्डन में तर्क रहे हैं कि वाहन स्वामी के द्वारा वाहन को मुख्त्यारनामा आम व इकरारनामे के जरिये अन्य को बेचान कर देने मात्र से वाहन स्वामी को क्षतिपूर्ति की उत्तरदायिता से उन्मोचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दुर्घटना दिवस के दिन दुर्घटना कारित करने वाला वाहन अप्रार्थी संख्या 02 के नाम पंजीकृत था, ना कि अप्रार्थी संख्या 01 लोकेश मीना के नाम।

(21) सुना गया। उभयपक्षकारान विद्वान अभिभाषकगण के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 **श्यामसुन्दर शर्मा एन ए डब्ल्यू 02/01** स्वयं साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी सशपथ साक्ष्य में अपने वाहन संख्या RJ-29-UA-2304 को दुर्घटना से पूर्व दिनांक 10.09.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 लोकेश मीना को जरिये मुख्त्यारनामा व इकरारनामा बेचान करने व उसका कब्जा, स्वामित्व व नियंत्रण अप्रार्थी संख्या 01 लोकेश मीना को संभला देने से वाहन से संबंधित विवादों में अप्रार्थी संख्या 01 लोकेश मीना को जिम्मेदार बताते हुए उसकी किसी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नहीं होनी बताई है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में मुख्त्यारनामा आम प्रदर्श एन ए 02/01 व इकरारनामा प्रदर्श एन ए 02/02 प्रदर्शित करवाये हैं। अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कहा है कि ''वक्त दुर्घटना उक्त वाहन उसके पजेशन में नहीं था एवं उक्त वाहन उसके दिशा–निर्देश में नहीं चल रहा था और दुर्घटना से पूर्व ही वाहन को

लोकेश मीना को बेच दिया था।'' <u>प्रार्थीगण के अधिवक्ता</u> द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कहा है कि ''यह सही है कि दुर्घटना दिनांक 02.08.2024 को वाहन संख्या आर.जे.–29–यू.ए.–2304 का पंजीकृत स्वामी मैं ही था। यह सही है कि दुर्घटना के बाद इस वाहन को न्यायालय से सुपुर्दगी पर मैंने ही लिया था, जिसके सुपुर्दगीनामा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 26 है व आदेश प्रदर्श 27 है।'' अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य से प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने आरोपित वाहन संख्या RJ-29-UA-2304 को दुर्घटना दिनांक से पूर्व ही दिनांक 10.09.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 लोकेश मीना को बेचना कहा है, जिसके समर्थन में मुख्त्यारनामा आम प्रदर्श एन ए 02/01 व इकरारनामा प्रदर्श एन ए 02/02 प्रस्तुत किये गये है किन्तु जिन गवाहान के समक्ष वाहन बेचना व उक्त मुख्त्यारनामा आम व इकरारनामा को निष्पादित किया जाना बताया है, उन साक्षीगण को साक्ष्य में प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं करवाया है तथा अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं बावजूद तामील अधिकरण में उपस्थित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में उक्त मुख्त्यारनामा आम प्रदर्श एन ए 02/01 व इकरारनामा प्रदर्श एन ए 02/02 प्रमाणित नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी को अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिये गये धारा 133 एम.वी. एक्ट के नोटिस प्रदर्श 08 के जवाब में अप्रार्थी संख्या 02 ने कहीं नहीं लिखा है कि वह उक्त वाहन का स्वामी नहीं है और पत्रावली पर प्रश्नगत वाहन संख्या RJ-29-UA-2304 का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श 12 व बीमा पॉलिसी प्रदर्श 13 उपलब्ध हैं, जिनमें उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी संख्या 02 श्याम पुत्र मोहनलाल, निवासी E-122, बाईजी की कोठी झालना डूंगरी, जयपुर के होने का अंकन है। साथ ही उक्त वाहन को न्यायालय से सुपुर्दगी पर श्यामसुन्दर ने ही लिया था, जिसके सुपुर्दगीनामा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 26 है व आदेश प्रदर्श 27 है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उठायी गयी आपत्ति कि वाहन का बेचान अप्रार्थी संख्या 02 श्यामसुन्दर द्वारा जरिये मुख्त्यारनामा आम व इकरारनामा अप्रार्थी संख्या 01 लोकेश मीना को किये जाने से क्षतिपूर्ति अदायगी की जिम्मेदारी से अप्रार्थी संख्या 02 श्यामसुन्दर शर्मा को उन्मोचित किया जावे, माने जाने योग्य नहीं है। अतः यह विवाद्यक प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 03</u>

(22) इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी पर है। इस विवाद्यक के संबंध मे बीमा कंपनी की ओर से यह आपत्ति रही है कि अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक द्वारा वाहन संख्या RJ-29-UA-2304 को वक्त दुर्घटना वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस के बिना चलाया जा रहा था, जिस कारण से बीमा

पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए बीमा कंपनी का क्षतिपूर्ति अदायगी का कोई दायित्व नही है।

(23) इसके प्रतिवाद में प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क लिये हैं कि उक्त दुर्घटना वाहन संख्या RJ-29-UA-2304 के चालक की तेजगति, गफलत व लापरवाही की वजह से ही हुई है। उक्त दुर्घटना में मृतक जितेश कुमार मीना की किसी प्रकार की कोई गलती व लापरवाही नहीं रही है, इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

(24) सुना गया। उभयपक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से **उपशाखा प्रबन्धक चेतराम एन ए डब्ल्यू 03/01** को साक्ष्य में परीक्षित करवाया है, जिसने अपनी साक्ष्य के शपथपत्र में कथन किये हैं कि ''बीमा कंपनी द्वारा वाहन संख्या RJ-29-UA-2304 का बीमा दिनांक 11.05.2024 से 10.05.2025 तक की अवधि हेतु प्राईवेट कार लाईबिलिटी ऑनली पॉलिसी किया था, जो कि प्रदर्श 13 है, जिसकी शर्तानुसार वक्त दुर्घटना चालक का ड्राईविंग लाईसेंस वैध व प्रभावी नहीं होने पर बीमा कंपनी का क्षतिपूर्ति हेतु दायित्व नहीं होगा। पुलिस द्वारा अपनी चार्जशीट में धारा 281, 125(a), 106 (1) BNS, 2023 व धारा 3/181, 134/187 व 5/180 एम.वी. एक्ट में अपराध बखूबी प्रमाणित पाये जाने पर डी.एल. नहीं होने पर उक्त धाराओं में चार्जशीट पेश की गई है। अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा वाहन स्वामी श्याम सुन्दर शर्मा व चालक लोकेश मीना को जरिये अधिवक्ता चालक का डी.एल. पेश करने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक को डी.एल. नहीं होते हुए भी बीमित वाहन को चलाने दिया, अतः बीमा शर्तों का खण्डन होने से बीमा कंपनी का क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है।'' दस्तावेजी साक्ष्य में रजिस्टर्ड नोटिस वाहन स्वामी एवं चालक प्रदर्श एन ए 03/01 एवं एन ए 03/02, रजिस्टर्ड डाक रसीद प्रदर्श एन ए 03/03 एवं एन ए 03/04 दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये हैं। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कहा है कि ''यह कहना सही है कि हमने आर.टी.ओ. ऑफिस में चालक लोकेश के पास दुर्घटना के समय डी.एल. होने या न होने बाबत कोई आवेदन नहीं किया। इस संबंध में कंपनी के जांचकर्ता द्वारा जांच करवाई गई, जिसमें डी.एल. नहीं होना पाया गया और बीमाधारी डी.एल. के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। यह कहना सही है कि जांचकर्ता द्वारा जो जांच की गई, उसकी रिपोर्ट पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है।'' अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि बीमा पॉलिसी के अनुसार वाहन चालक के

पास वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए किन्तु हस्तगत प्रकरण में बरवक्त दुर्घटना दिनांक 02.08.2024 को समय 02:30 PM पर वाहन नंबर RJ-29-UA-2304 को अप्रार्थी संख्या 01/लोकेश मीना द्वारा चलाया जा रहा था और अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी बाद विस्तृत अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक लोकेश मीना के विरूद्ध अंतर्गत धारा 281, 125(a), 106(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3/181, 134/187 एम.वी. एक्ट के तहत एवं अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी श्यामसुन्दर शर्मा के विरूद्ध अंतर्गत धारा 5/180 एम.वी. एक्ट के तहत सक्षम न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या 01/लोकेश मीना के विरूद्ध बिना ड्राईविंग लाईसेंस के वाहन चलाने के कारण धारा 3/181 मोटर वाहन अधिनियम की जोड़ी गई है, जिसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से वाहन चालक लोकेश मीना का ड्राईविंग लाईसेंस पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही इस बाबत कोई साक्ष्य पेश की गयी है, जिससे यह तथ्य स्पष्ट होता हो कि वाहन चालक के पास वक्त दुर्घटना ड्राईविंग लाईसेंस था। अतः उपरोक्तानुसार वाहन चालक के पास बरवक्त दुर्घटना ड्राईविंग लाईसेंस नही होने से बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श 13 प्रश्नगत वाहन संख्या RJ-29-UA-2304 की बीमा पॉलिसी है, जो कि दिनांक 11.05.2024 दिनांक 10.05.2025 तक के लिए जारी की गयी है तथा दुर्घटना दिनांक 02.08.2024 को होना बताया है, इसलिए हस्तगत प्रकरण में जिस वाहन जीप संख्या RJ-29-UA-2304 द्वारा दुर्घटना कारित की जानी बतायी है, वह अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के यहां बीमित है, इसे अप्रार्थी संख्या 03 ने अपनी जवाब याचिका व सशपथ साक्ष्य में स्वीकार किया है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि बीमा कंपनी का क्षतिपूर्ति अदायगी बाबत कोई दायित्व ना हो।

(25) इसके लिए न्यायिक दृष्टांत **National Insurance Co. Ltd v/s Swaran Singh and Others 2004 ACJ 1 decided on 05.01.2004,** न्यायिक दृष्टांत **Kempaiah and other v/s S.S. Murthy and another 2017 ACJ 1722 decided on 02.03.2017,** न्यायिक दृष्टांत **Rama Bai v/s Amit Minerals and another 2025 ACJ 2506, decided on 24.09.2025,** न्यायिक दृष्टांत **Akula Narayan v/s Oriental Insurance Co. Ltd. and another 2025 ACJ 2532, decided on 10.11.2025** एवं न्यायिक दृष्टांत **Oriental Insurance Company Ltd. through the Divisional Manager Versus Ramesh Chander & Anr. 2022(2) R.A.R. 617 (Raj.)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान

उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बरवक्त दुर्घटना यदि वाहन चालक के पास वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी लाईसेंस नहीं हो तो अधिकरण पे एण्ड रिकवर का सिद्धांत लागू करेगा। हस्तगत प्रकरण में भी चूंकि अप्रार्थी संख्या 01 लोकेश मीना के पास बरवक्त दुर्घटना वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी लाईसेंस नहीं था, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में दी गई व्यवस्था के अनुसार पे एण्ड रिकवर का सिद्धांत लागू करना न्यायोचित प्रतीत होता है, क्योंकि कथित वाहन वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के पास तृतीय पक्षकार की क्षतिपूर्ति हेतु बीमित था एवं प्रार्थी तृतीय पक्षकार की श्रेणी में आता है। ऐसे में तृतीय पक्षकार को भुगतान करने का दायित्व सर्वप्रथम बीमा कंपनी का ही बनता है। अतः अप्रार्थी बीमा कंपनी के द्वारा प्रथमतः समस्त क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी की जायेगी, तदुपरांत पे एण्ड रिकवर के सिद्धांत के अनुसार अदा की गई राशि की वसूली वाहन चालक अप्रार्थी संख्या 01 व वाहन स्वामी अप्रार्थी संख्या 02 से कर सकेगी, जिसके लिए उसे पृथक से वाद लाने की आवश्यकता नहीं है। अतः यह विवाद्यक उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से बीमा कंपनी के पक्ष में व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 04

(26) विवाद्यक संख्या 04 को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। यह विवाद्यक प्रार्थीगण को दिलवायी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि से संबंधित है। अधिकरण को यह निर्धारण करना है कि यह राशि क्या हो ?

(27) क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम हमें पत्रावली पर आयी साक्ष्य से मृतक जितेश कुमार मीना की आयु व मासिक आय पर विचार करना है ? जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है, तो प्रार्थीगण ने याचिका में मृतक जितेश कुमार मीना को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी व खेती का कार्य करके 12,000/- रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया है तथा याचिका के विभिन्न मदों में कुल 45,25,000/- रूपये की क्षतिपूर्ति राशि की मांग की है। प्रार्थीगण की ओर से मृतक जितेश कुमार मीना की माता प्रार्थिया **रामोती देवी मीना ए डब्ल्यू 01** ने अपने सशपथ बयानों में कहा है कि ''याचिका में अंकित खेतीबाड़ी के संबंध में मैंने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है और जितेश की आय व व्यय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।'' ऐसी स्थिति में दुर्घटना के समय मृतक जितेश कुमार मीना को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी व खेती का काम करके 12,000/- रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता हो, नहीं माना जा सकता है। प्रार्थीगण ने मृतक के कुशल श्रमिक होने का भी कोई प्रमाण–पत्र पेश नहीं किया है। अतः मृतक जितेश कुमार मीना को बरवक्त दुर्घटना अकुशल श्रमिक होना माना

जाकर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाना उचित है। दुर्घटना की दिनांक 02.08.2024 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अकुशल श्रमिक कर्मकार की मासिक आय 7,410/- रूपये होने के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि की गणना की जानी है।

(28) प्रार्थीगण की ओर से मृतक जितेश कुमार मीना की आयु क्लेम याचिका में 25 वर्ष अंकित की गयी है तथा पत्रावली पर मृतक जितेश कुमार मीना के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र प्रदर्श 18 लगायत 23 प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें उसकी जन्मतिथि 28.12.1999 अंकित है, इसलिए दुर्घटना दिनांक 02.08.2024 को मृतक जितेश कुमार मीना की आयु दुर्घटना के समय लगभग 24 वर्ष 07 माह होती है, जिसके आधार पर उसकी उम्र 21 से 25 वर्ष के आयु–वर्ग के मध्य माना जाना उचित है।

आश्रितता की हानि के मद में देय राशि :–

(29) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एस.एल.पी. (सिविल) नंबर–25590/14 नेशनल इंश्यो.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी व अन्य निर्णीत दि. 31.10.17** में यह माना है कि जहां मृतक अस्थाई रूप से स्वनियोजित तौर पर कार्य कर रहा हो और उसकी उम्र 40 वर्ष से कम की हो तो उस स्थिति में उसकी आमदनी में 40 प्रतिशत की भावी वृद्धि की जायेगी। अतः उपरोक्त विवेचन व न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन लेने पर हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं मृतक की उम्र को मद्देनजर रखते हुए मृतक की उपरोक्त आमदनी में 40 प्रतिशत की भावी वृद्धि किया जाना न्यायोचित है। तदनुसार मृतक की उपरोक्त आमदनी में 40 प्रतिशत की भावी वृद्धि मानते हुए मृतक की वार्षिक आमदनी– 7,410 + 40% = 10,374/- रूपये निर्धारित किया जाना उचित है।

(30) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन व अन्य 2009 डी.एन.जे. 684** में प्रतिपादित विधिक स्थिति के अनुसार मृतक अविवाहित था, इसलिए उसके माता–पिता को आश्रित माना जा सकता है। याचिका में प्रार्थिया संख्या 03 आशा मीना व प्रार्थी संख्या 04 संजू मीना हैं, जो कि मृतक के भाई–बहिन हैं एवं वर्तमान में उसके पिता रामभजन मीना जीवित है, ऐसी स्थिति में मृतक जितेश कुमार मीना के भाई–बहिन को उस पर आश्रित नहीं माना जा सकता है। बरवक्त दुर्घटना मृतक जितेश कुमार मीना चूंकि अविवाहित था, इसलिए मृतक की व्यक्तिगत खर्चे के लिए आमदनी 10,374/- रूपये में से 1/2 भाग की कटौती करने के उपरांत 10,374 - 1/2 = 5,187/- रूपये मानकर क्षतिपूर्ति का आंकलन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(31) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य (2009) 6 सुप्रीम कोर्ट कैसेज पेज 121** में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार मृतक जितेश कुमार मीना की आयु 21 से 25 वर्ष के मध्य होने के आधार पर 18 का गुणक प्रयोग मे लाया जाना न्यायसंगत है।

(32) तदनुसार प्रार्थीगण को आश्रितता की क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 5,187 X 12 X 18 = 11,20,392/- रूपये का प्रतिकर दिलवाया जाना न्यायोचित है।

(33) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **2017 (4) टी.ए.सी. 673 नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य, 2023 (1) आर.ए.आर. 81 (एस. सी.) श्रीमती अंजलि व अन्य बनाम लोकेन्द्र राठौड व अन्य** एवं **राजवती उर्फ रज्जो व अन्य बनाम यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड व अन्य सिविल अपील नंबर 8179/2022** में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार Conventional and Traditional Heads के अंतर्गत Loss of Consortium के अंतर्गत Parental consortium से वंचित होने के आधार पर उसके माता–पिता क्षतिपूर्ति की राशि के उक्त शीर्ष में पृथक–पृथक रूप से 40,000 - 40,000/- रूपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा Loss of estate के मद में 20,000/- रूपये एवं Funeral expenses के मद में 20,000/- रूपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(34) इस प्रकार प्रार्थीगण नियमानुसार निम्नलिखित मदों में क्षतिपूर्ति राशि मृतक के विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्र.सं.	मद	गणना राशि रूपयों में
1.	आश्रितता की हानि के मद में व भविष्यतर्वी आय की हानि के मद में	11,20,392/- रूपये
2.	Loss of Consortium के मद में (40,000 X 04)	1,60,000/- रूपये
3.	Loss of estate के मद में	20,000/- रूपये
4.	Funeral expenses के मद में	20,000/- रूपये
	कुल क्षतिपूर्ति राशि	**13,20,392/- रूपये**

(35) अतः प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से कुल क्षतिपूर्ति राशि **13,20,392/-रूपये (अक्षरे तेरह लाख बीस हजार तीन सौ बानवे रूपये)** प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अनुतोषः–

(36) उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से कुल क्षतिपूर्ति राशि **13,20,392/-रूपये (अक्षरे तेरह लाख बीस हजार तीन सौ बानवे रूपये)** प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अगर प्रार्थीगण ने पूर्व में कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की हैं तो वह राशि उक्त क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित की जावे। समायोजन के पश्चात शेष बची राशि पर क्लेम याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 24.12.2024 से वसूली तक 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के द्वारा प्रथमतः समस्त क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी की जायेगी, तदुपरांत पे एण्ड रिकवर सिद्धांत के अनुसार अदा की गई राशि की वसूली वाहन चालक अप्रार्थी संख्या 01 व वाहन स्वामी अप्रार्थी संख्या 02 से कर सकेगी, जिसके लिए उसे पृथक से वाद लाने की आवश्यकता नहीं है।

:: पंचाट ::

(37) निष्कर्षतः प्रस्तुत क्लेम याचिका प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अंतिम पंचाट इस कदर पारित किया जाता है कि प्रार्थीगण प्रतिकर राशि स्वरूप कुल **13,20,392/-रूपये (अक्षरे तेरह लाख बीस हजार तीन सौ बानवे रूपये)** में से अंतरिम क्षतिपूर्ति की राशि अगर प्राप्त की हो तो उसे समायोजित करने के पश्चात शेष राशि 7.5% प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्लेम याचिका पेश करने की तिथि 24.12.2024 से अदायगी तक अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के द्वारा प्रथमतः समस्त क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी की जायेगी, तदुपरांत पे एण्ड रिकवर सिद्धांत के अनुसार अदा की गई राशि की वसूली वाहन चालक अप्रार्थी संख्या 01 व वाहन स्वामी अप्रार्थी संख्या 02 से कर सकेगी, जिसके लिए उसे पृथक से वाद लाने की आवश्यकता नहीं है।

(38) उक्त राशि मय ब्याज जमा होने पर प्रार्थीगण को राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जाना हैः–

क्र.सं.	नाम प्रार्थीगण	बचत खाता	सावधि खाता	अवधि
1.	रामोती देवी	2,20,392/- रूपये एवं देय ब्याज	02 लाख 02 लाख	03 वर्ष 05 वर्ष
2.	रामभजन मीना	2,00,000/- रूपये	02 लाख 02 लाख	03 वर्ष 05 वर्ष

3.	आशा मीना	50,000/- रूपये	—	—
4.	संजू मीना	—	50,000/- रूपये	बालिग होने तक

(39) उक्त क्लेम याचिका में अप्रार्थी संख्या 01 ता 03, प्रार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि एवं ब्याज की राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **WP (C) 534/2020 बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेन्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य** में दिनांक 16.03.2021 को पारित आदेश में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार इस अधिकरण के यूको बैंक, नया कटला दौसा में संचालित चालू खाता संख्या **04610210002988, IFSC CODE UCBA0000461** में जरिये **NEFT** या **RTGS** के माध्यम से 30 दिवस में जमा करवाये एवं इस अधिकरण को इसकी सूचना प्रस्तुत करे। उक्त राशि जमा होने पर प्रार्थीगण के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रचलित सर्वाधिक लाभकारी योजना में **FDR** करवाये। शेष क्षतिपूर्ति राशि बाबत प्रार्थीगण की याचिका साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

(40) प्रार्थीगण इस आशय का शपथ पत्र भी पेश करें कि उन्होंने पूर्व में इस दुर्घटना के संबंध में किसी भी न्यायालय/अधिकरण से कोई क्लेम प्राप्त नहीं किया है।

(प्रेम राजेश)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
दौसा, जिला दौसा–राजस्थान

(41) उक्त निर्णय/पंचाट आज दिनांक 17.07.2026 को खुले अधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(प्रेम राजेश)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
दौसा, जिला–दौसा राजस्थान